रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 685] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2018/फाल्गुन 3, 1939
No. 685] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2018/PHALGUNA 3, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2018

का.आ. 777(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है ।

प्रारूप अधिसूचना

गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। यह आकार में लंबा है। इसे उत्तरी और दक्षिणी दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। दोनों भाग संकरी सीमा से जुड़े हुए हैं। उत्तरी भाग आकार में बड़ा है, जिसकी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई लगभग 12.5 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई लगभग 7 किलोमीटर है। दक्षिणी भाग आकार में छोटा है, जिसकी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की

चौड़ाई लगभग 8 किलोमीटर है। इस का क्षेत्रफल 85°2'18" और 85° 17'14" पूर्वी देशांतर और 24° 19'33" और 24° 29' 33" उत्तरी अक्षांश के बीच 121.224 वर्ग किलोमीटर है।

और, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य में जैव विविधता की प्रचुरता है। इसमें चीतल, बनैला सूअर, रीछ, सियार, साही, लकड़बग्घा, खरगोश आदि का वास है। अभयारण्य पलामू चतरा एवं कोडरमा के प्रवासी हाथियों के लिए गलियारे का काम करता है और एशियाई हाथियों में आनुवांशिक विविधता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियां जैसे कि सरपेंट ईगल, पैराडाईस फ्लाई-कैचर, किंगफिशर, बी-ईटर, स्विफट विभिन्न प्रकार के बब्बलर, ब्लैक ड्रोंगो, कठफोडवा, लैपविंग, मयूर, तालाब बगुला, इगरेट आदि पाई जाती हैं। कभी-कभी, मांसाहारी जैसे भेड़िये और तेंदुएं भी देखे जाते हैं। अभयारण्य के वनों को एक तरफ बिहार राज्य की सीमा द्वारा उत्तरी और उत्तरी-पश्चिमी भाग की ओर तक दूसरी तरफ कोडरमा, हजारीबाग के पश्चिम और चतरा के उत्तरी वन संभागों के वनों द्वारा निरुपित किया गया है।

और, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को, पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड राज्य में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 5 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं**.-

(1) हजारीबाग जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल क्षेत्रफल 327.59 वर्ग किलोमीटर है। इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 0 से 5 (अंतरराज्यीय सीमा के कारण) किलोमीटर तक है।

(2) सीमा विवरण के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध-I** में दी गयी है;

(3) संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-II** में दिया गया है।

(4) गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-III** के रुप में संलग्न है ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

i. पर्यावरण;

ii. वन और वन्यजीव;

iii. कृषि और बागवानी;

iv. राजस्व;

v. शहरी विकास;

vi. पारिस्थितिकी पर्यटन सहित पर्यटन;

vii. ग्रामीण विकास;

viii. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

ix. नगरपालिका और शहरी विकास;

x. पंचायती राज, और

xi. लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथा सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमे स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग तथा पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुख-सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गो के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरूद्धार की योजना शामिल की जाएगी ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजार्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजार्टों की स्थापना अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिजार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**– झारखंड राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -**ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात:-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले या बढ़ावा दिए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और

		वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योगों सहित उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	नई आरा मिलों और काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
		विनियमित क्रियाकलाप
10.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टो की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: (ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित

		आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप । (ख) परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ग) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
13.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
15.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।

16.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
17.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
18.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।
20.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
22.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट/ जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 (1) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए प्रथम निगरानी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

i.	आयुक्त, उत्तर छोटानागपुर संभाग, हजारीबाग	-अध्यक्ष;
ii.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	–सदस्य;
iii.	गैर-सरकारी संगठनों (विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय) का एक प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	–सदस्य;
iv.	झारखंड के वन और पर्यावरण विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	–सदस्य;
v.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	–सदस्य;
vi.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	–सदस्य;
vii.	संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी	–सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय:-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) निगरानी समिति, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों सहित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अंतर्गत आने वाले उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के

तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2011 सं.का.आ 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 तथा इनमें किए गए परिवर्ती संशोधनों की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। केवल श्वेत श्रेणी के उद्योगों को ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा "उद्योगों के वर्गीकरण, 2016" के लिए जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट माना जाएगा।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल–विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा करके उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/70/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड का मानचित्र

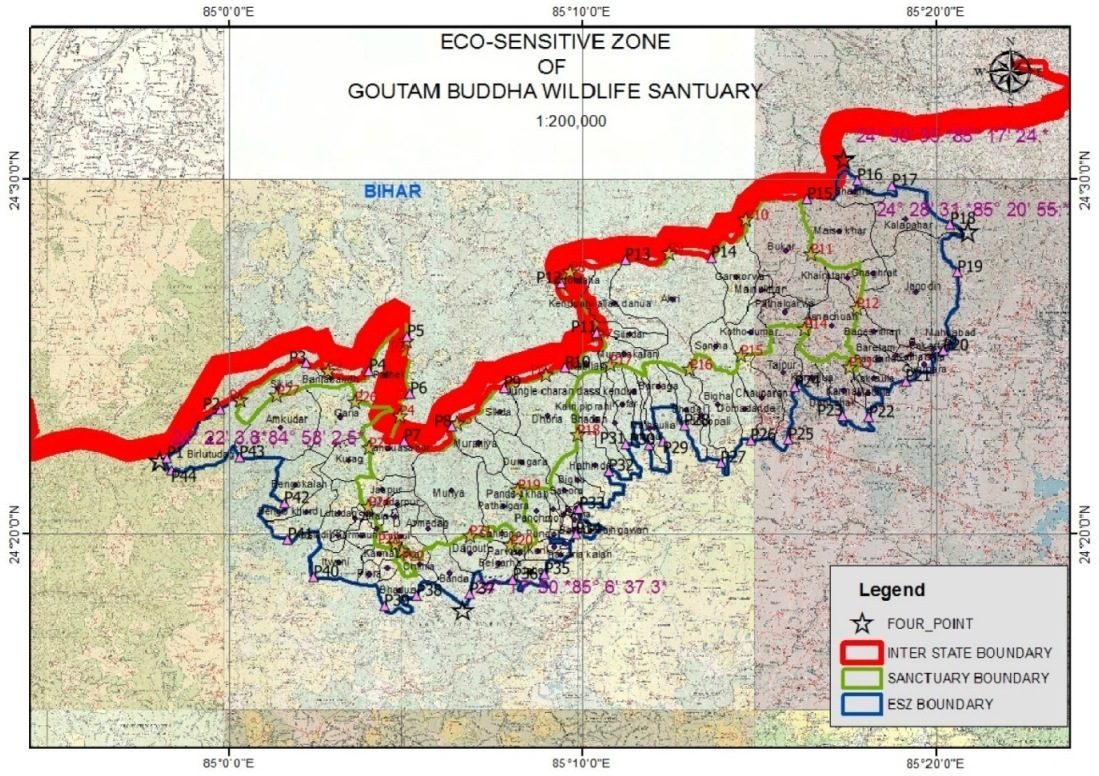

गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा

उत्तर: - उत्तर पश्चिम और उत्तरी भाग बिहार (बिहार का गया जिला) और झारखंड (झारखंड का हजारीबाग जिला) के बीच की राज्य सीमा है।

पूर्व: - बाघीतैर का उत्तर और उत्तर-पूर्व भाग, कलापहार का उत्तरी और दक्षिण-पूर्व भाग, जगोदीह का पूर्वी और दक्षिणी भाग, महाबाद का पूर्वी भाग, गुरुबारा का पूर्वी और दक्षिण भाग और पदमा राजस्व ग्रामों का दक्षिण पूर्व भाग।

दक्षिण: - ककरौला का दक्षिणी और दक्षिण-पूर्व भाग, मचला और दरजीचक का दक्षिणी टीप, करमा का दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिम भाग, करनजुआ का दक्षिण भाग, ताजपुर का दक्षिण-पूर्व और दक्षिणी भाग, चौपारन, दोमदनदेई, बिघा, मधगोपाली, भदेल का दक्षिण भाग, मझौलिया का दक्षिण-पूर्व भाग, अमरौल, भदान, हथिनजार, बिघा, सहोरा, हरदिया का दक्षिणी भाग, मझगांव, पकरियाकलान का दक्षिण-पूर्व और दक्षिणी भाग, जबेर, बेलगरहा, बंदा और चिलचिया राजस्व ग्रामों का दक्षिणी भाग।

पश्चिम: - भदुआ का दक्षिण-पूर्व, दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिम भाग, पिपरा का दक्षिणी भाग, इटवरी का दक्षिणी भाग, और लुटुदाग, बेंगौखुर्द, बेंगोकलान, अमकुदार और बिरलुतुदाग राजस्व ग्रामों का पश्चिम भाग।

उपाबंध-II

गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड की सीमा के भू-निर्देशांक

गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा पर चिन्हित भू-निर्देशांक		
बिंदु	**अक्षांश**	**देशांतर**
पी-1	24°23'45"	85°0'18"
पी-2	24°24'35"	85°2'46"
पी-3	24°25'25"	85°4'59"
पी-4	24°23'19"	85°4'48"
पी-5	24°23'5"	85°6'26"
पी-6	24°24'28"	85°8'56"
पी-7	24°25'38"	85°10'24"
पी-8	24°27'22"	85°9'38"
पी-9	24°27'55"	85°12'25"
पी-10	24°28'51"	85°14'36"
पी-11	24°27'53"	85°16'26"
पी-12	24°26'21"	85°17'44"
पी-13	24°24'41"	85°17'31"
पी-14	24°25'46"	85°16'16"
पी-15	24°25'1"	85°14'27"
पी-16	24°24'37"	85°13'1"
पी-17	24°24'45"	85°10'45"
पी-18	24°22'46"	85°9'50"
पी-19	24°21'13"	85°8'9"

पी-20	24°19'39"	85°7'56"
पी-21	24°19'55"	85°6'47"
पी-22	24°19'30"	85°4'52"
पी-23	24°19'41"	85°4'40"
पी-24	24°20'44"	85°3'55"
पी-25	24°22'24"	85°3'56"
पी-26	24°23'42"	85°3'32"
पी-27	24°23'53"	85°1'20"
पी-28	24°23'45"	85°0'18"

गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांक

गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर चिन्हित भू-निर्देशांक		
बिंदु	**देशांतर (पू)**	**अक्षांश (उ)**
पी-1	24°22'8"	84°58'13"
पी-2	24°23'30"	84°59'43"
पी-3	24°24'49"	85°2'9"
पी-4	24°24'36"	85°3'56"
पी-5	24°25'34"	85°5'1"
पी-6	24°23'57"	85°5'6"
पी-7	24°22'37"	85°4'55"
पी-8	24°23'1"	85°6'16"
पी-9	24°24'7"	85°7'45"
पी-10	24°24'41"	85°9'29"
पी-11	24°25'41"	85°10'22"
पी-12	24°27'4"	85°9'23"
पी-13	24°27'44"	85°11'11"
पी-14	24°27'48"	85°13'37"
पी-15	24°29'27"	85°16'20"
पी-16	24°29'59"	85°17'45"
पी-17	24°29'50"	85°18'44"
पी-18	24°28'45"	85°20'23"
पी-19	24°27'23"	85°20'35"
पी-20	24°25'10"	85°20'11"
पी-21	24°24'18"	85°19'7"

पी-22	24°23'17"	85°18'5"
पी-23	24°23'19"	85°17'20"
पी-24	24°24'8"	85°15'59"
पी-25	24°22'39"	85°15'48"
पी-26	24°22'38"	85°14'44"
पी-27	24°21'60"	85°13'53"
पी-28	24°23'3"	85°12'51"
पी-29	24°22'36"	85°12'15"
पी-30	24°22'30"	85°11'51"
पी-31	24°22'32"	85°11'11"
पी-32	24°21'46"	85°10'43"
पी-33	24°20'42"	85°9'53"
पी-34	24°19'59"	85°9'47"
पी-35	24°18'51"	85°8'54"
पी-36	24°18'42"	85°7'60"
पी-37	24°18'17"	85°6'47"
पी-38	24°18'14"	85°5'17"
पी-39	24°17'57"	85°4'22"
पी-40	24°18'46"	85°2'22"
पी-41	24°19'50"	85°1'38"
पी-42	24°20'51"	85°1'32"
पी-43	24°22'9"	85°0'16"
पी-44	24°21'47"	84°58'20"

उपाबंध-III

गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	जिला	ग्राम	सी डी ब्लॉक	अक्षांश	देशांतर
1	2	3	4	5	6
1.	हजारीबाग	भाघर	चौपारन	24.4942	85.2944
2.	हजारीबाग	कालापहर	चौपारन	24.4814	85.3186
3.	हजारीबाग	घाघरैत	चौपारन	24.4558	85.3039
4.	हजारीबाग	मैसा खार	चौपारन	24.4758	85.2877
5.	हजारीबाग	जागोदीह	चौपारन	24.4472	85.3236
6.	हजारीबाग	बगेसरीथान	चौपारन	24.4283	85.3043
7.	हजारीबाग	महौबाद	चौपारन	24.4235	85.3401
8.	हजारीबाग	बरहिया अहरी	चौपारन	24.4229	85.3221

9.	हजारीबाग	ताजपुर	चौपारन	24.4093	85.2610
10.	हजारीबाग	पंडरिया	चौपारन	24.4153	85.3065
11.	हजारीबाग	करनजुआ	चौपारन	24.4072	85.2750
12.	हजारीबाग	कथमबा	चौपारन	24.4174	85.3217
13.	हजारीबाग	पकरतैर	चौपारन	24.4202	85.3321
14.	हजारीबाग	बैरेटम	चौपारन	24.4170	85.3141
15.	हजारीबाग	धोबदा अहरी	चौपारन	24.4165	85.3311
16.	हजारीबाग	गुरुबारा	चौपारन	24.4129	85.3279
17.	हजारीबाग	चौपारन	चौपारन	24.3975	85.2509
18.	हजारीबाग	ककरौला	चौपारन	24.4067	85.3040
19.	हजारीबाग	जंगल चरन दास केन्दुआ	चौपारन	24.4002	85.1906
20.	हजारीबाग	अमरौल	चौपारन	24.3828	85.1979
21.	हजारीबाग	दरजी चक	चौपारन	24.3994	85.2968
22.	हजारीबाग	करमा	चौपारन	24.4004	85.2900
23.	हजारीबाग	बिघा	चौपारन	24.3941	85.2307
24.	हजारीबाग	बरदगा	चौपारन	24.4024	85.2028
25.	हजारीबाग	भदेल	चौपारन	24.3916	85.2156
26.	हजारीबाग	मधगोपाली	चौपारन	24.3889	85.2228
27.	हजारीबाग	काफर	चौपारन	24.3944	85.1853
28.	हजारीबाग	मचला	चौपारन	24.3999	85.3013
29.	हजारीबाग	दोमादांदे	चौपारन	24.3920	85.2432
30.	हजारीबाग	भादन	चौपारन	24.3871	85.1731
31.	हजारीबाग	कैरी पिपरही	चौपारन	24.3855	85.1820
32.	हजारीबाग	मझौलिया	चौपारन	24.3830	85.2005
33.	हजारीबाग	हथीनदार	चौपारन	24.3652	85.1724
34.	हजारीबाग	बिघा	चौपारन	24.3586	85.1644
35.	हजारीबाग	सहोरा	चौपारन	24.3537	85.1585
36.	हजारीबाग	सहीजना	चौपारन	24.3332	85.1285
37.	चतरा	केन्दुआ	इटखोरी	24.3451	85.1637
38.	चतरा	पंचमो	इटखोरी	24.3439	85.1451
39.	चतरा	पाण्डेय खाप	इटखोरी	24.3448	85.1530
40.	चतरा	हरदिया	इटखोरी	24.3423	85.1579
41.	चतरा	राजा केन्दुआ	इटखोरी	24.3443	85.1603
42.	चतरा	बहेरा चक	इटखोरी	24.3399	85.1630
43.	चतरा	बंथु	इटखोरी	24.3347	85.1624
44.	चतरा	मझगवान	इटखोरी	24.3349	85.1707

45.	चतरा	पुनौल	इटखोरी	24.3331	85.1532
46.	चतरा	राजादहरभंगा	इटखोरी	24.3269	85.1532
47.	चतरा	दनौत	इटखोरी	24.3242	85.1136
48.	चतरा	कोनी	इटखोरी	24.3251	85.1461
49.	चतरा	बिधिचक अन्यथा मुरार चक	इटखोरी	24.3284	85.1588
50.	चतरा	परवनी	इटखोरी	24.3241	85.1369
51.	चतरा	पकरिया कलान	इटखोरी	24.3235	85.1566
52.	चतरा	जबेर	इटखोरी	24.3151	85.1422
53.	चतरा	बेलगरहा	इटखोरी	24.3192	85.1273
54.	चतरा	गरिया	बरहाचट्टी	24.3883	85.0524
55.	चतरा	अमकुदार	बरहाचट्टी	24.3831	85.0246
56.	चतरा	बिरलुटुदाग	बरहाचट्टी	24.3775	85.9909
57.	चतरा	कुराग	बरहाचट्टी	24.3676	85.0563
58.	चतरा	बेंगोकलान	बरहाचट्टी	24.3562	85.0310
59.	चतरा	बेंगो खुर्द	बरहाचट्टी	24.3436	85.0367
60.	चतरा	लुटुदाग	बरहाचट्टी	24.3428	85.0520
61.	चतरा	सरैया	बरहाचट्टी	24.3423	85.0647
62.	चतरा	मझौलिया	बरहाचट्टी	24.3400	85.0598
63.	चतरा	करमौनी	बरहाचट्टी	24.3325	85.0625
64.	चतरा	इटवानी	बरहाचट्टी	24.3196	85.0517
65.	चतरा	बन्डा	बरहाचट्टी	24.3145	85.1040
66.	चतरा	करमा	बरहाचट्टी	24.3237	85.0712
67.	चतरा	दोका	बरहाचट्टी	24.3167	85.0747
68.	चतरा	चिलहीया	बरहाचट्टी	24.3187	85.0900
69.	चतरा	पिपरा	बरहाचट्टी	24.3144	85.0661
70.	चतरा	भदुआ	बरहाचट्टी	24.3066	85.0802
71.	चतरा	कसियादीह	बरहाचट्टी	24.3325	85.0512
72.	चतरा	देसविरिया	बरहाचट्टी	24.3425	85.0668
73.	चतरा	कंदरी	बरहाचट्टी	24.3354	85.0698

शामिल किए गए ग्रामों की सूची:

क्र. सं.	**जिला**	**ग्राम**	**सी डी ब्लॉक**	**अक्षांश**	**देशांतर**
1	2	3	4	5	6
74.	हजारीबाग	गरमोरवा	चौपारन	24.4543	85.2394
75.	हजारीबाग	बुकर	चौपारन	24.4665	85.2627
76.	हजारीबाग	अहरी	चौपारन	24.4438	85.2089

77.	हजारीबाग	खैरातैर	चौपारन	24.4535	85.2920
78.	हजारीबाग	मैनुखार	चौपारन	24.4483	85.2513
79.	हजारीबाग	असनाचौन	चौपारन	24.4314	85.2841
80.	हजारीबाग	केनदौही अन्यथा दनुआ	चौपारन	24.4416	85.1818
81.	हजारीबाग	चोरदहा	चौपारन	24.4522	85.1641
82.	हजारीबाग	पथलगरवा	चौपारन	24.4377	85.2621
83.	हजारीबाग	कोथोदुमर	चौपारन	24.4279	85.2458
84.	हजारीबाग	सिलोदार	चौपारन	24.4273	85.1887
85.	हजारीबाग	संझा	चौपारन	24.4218	85.2295
86.	हजारीबाग	मुरतिया कलान	चौपारन	24.4178	85.1864
87.	हजारीबाग	धोरिया	चौपारन	24.3886	85.1501
88.	हजारीबाग	कबिलाश	चौपारन	24.4133	85.1686
89.	हजारीबाग	सिक्दा	चौपारन	24.3903	85.1276
90.	हजारीबाग	मुरनिया	चौपारन	24.3757	85.1176
91.	हजारीबाग	दुरगरा	चौपारन	24.3669	85.1378
92.	हजारीबाग	मुरिया	चौपारन	24.3535	85.1047
93.	हजारीबाग	पथलगरा	चौपारन	24.3461	85.1296
94.	चतरा	बानीयाबांध	चतरा	24.4066	85.0482
95.	चतरा	पथेल	बरहाचट्टी	24.4079	85.0739
96.	चतरा	सिकिद	बरहाचट्टी	24.4016	85.0229
97.	चतरा	कंदौसाहोर	बरहाचट्टी	24.3736	85.0753
98.	चतरा	जसपुर	बरहाचट्टी	24.3538	85.0722
99.	चतरा	मदरपुर	बरहाचट्टी	24.3471	85.0794
100.	चतरा	अरमेदाग	बरहाचट्टी	24.3359	85.0939
101	चतरा	तुलबुल	बरहाचट्टी	24.3322	85.0813
102.	चतरा	बमहना	बरहाचट्टी	24.3409	85.0783

उपाबंध IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।

6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2018

S.O. 777(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Gautam Buddha Wildlife Sanctuary (GBWLS), is situated in the district of Hazaribagh in Jharkhand. It is elongated in shape and can be divided into two halves, Northern and Southern halves with a narrow constriction joining both the halves. The Northern half is larger in size, covering a length of about 12.5 km from East to West and a breadth of about 7 kms from North to South. The Southern half is smaller in size, covering a length of about 6.5 km from East to West and a breadth of about 8 km from North to South. It occupies an area of 121.224 sq km between $85^0$2'18" & $85^0$17'14" East longitude and $24^0$19'33" & 24^0 29' 33" North latitude.

AND WHEREAS, the Gautam Buddha WLS has a wide range of biodiversity. The habitat is shared by cheetal, wild boar, sloth bear, jackal, porcupine, hyaena, hare, etc. The sanctuary serves as a corridor for migrating elephants of Palamu, Chatra & Koderma and play a pivotal role in maintaining the genetic variation in the Asian Elephants. The important bird species which can be frequently spotted are serpent eagle, paradise fly-catcher, kingfisher, bee-eater, swift, different types of babblers, black drongo, wood pecker, lapwing, peafowl, pond heron, egret, etc. Sometimes, carnivores like wolves and leopards are also spotted. The forests of the sanctuary are delineated towards the North and North-Western side by state boundary of Bihar and on other sides by forests of Koderma, Hazaribag West and Chatra North Forest Divisions.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Gautam Buddha Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological and environmental point of view;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent of 5 kilometres around the boundary of Gautam Buddha Wildlife Sanctuary in the State of Jharkhand as the Gautam Buddha Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone**.-(1) The total area of the Eco-sensitive zone of Gautam Buddha Wildlife Sanctuary is 327.59 square kilo meters that falls in Hazaribagh district. The extent of Eco-sensitive Zone where is from 0 (due to Inter-state boundary) to 5 kilometers.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone boundary along with boundary description is at **Annexure I;**

(3) The list of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure II**;

(4) The list of villages within Gautam Buddha Wildlife Sanctuary Eco-sensitive zone is appended as **Annexure III**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

i. Environment,
ii. Forest and Wildlife,
iii. Agriculture and Horticulture,
iv. Revenue,
v. Urban Development,
vi. Tourism including Eco-tourism,
vii. Rural Development,
viii. Irrigation and Flood Control,
ix. Municipal and Urban Development,
x. Panchayati Raj, and
xi. Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and Eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-**

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
iii. Small scale industries not causing pollution;
iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

v. Promoted activities and given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) **Natural Springs.-** The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/Eco-Tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on Eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Jharkhand State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the

inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** Bio Medical waste management shall be as under:

(a) The Bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management**.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management**.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-Waste**.- The E-Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular Pollution.-** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills and wood based industries.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
Regulated activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the

		Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
13.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
14.	Small scale non polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.

17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
18.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial use and extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management /Bio-medical Waste Management	Regulated under applicable laws
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Use of Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
Promoted activities		
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
35.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals	Shall be actively promoted
37.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.

40.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 (1) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes the first Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-Sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

i.	Commissioner, North Chhotanagpur Division, Hazaribagh	–Chairperson;
ii.	Representative of State Pollution Control Board	–Member;
iii.	One representative of non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the State Government	–Member;
iv.	A representative nominated by the Forest & Environment Department of Jharkhand	–Member;
v.	An expert in Biodiversity to be nominated by the State Government	–Member;
vi.	An expert in Ecology and environment to be nominated by the State Government	–Member;
vii.	In-charge Protected Area	–MemberSecretary

6. Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and Coastal Regulation Zone, 2011 vide S.O. No. 19(E) dated 6th January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and S.O. 19(E) dated 6th January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State under intimation to this Ministry as per proforma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/70/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure-I

Map of Gautam Buddha Wildlife Sanctuary, Jharkhand along with Eco-Sensitive Zone

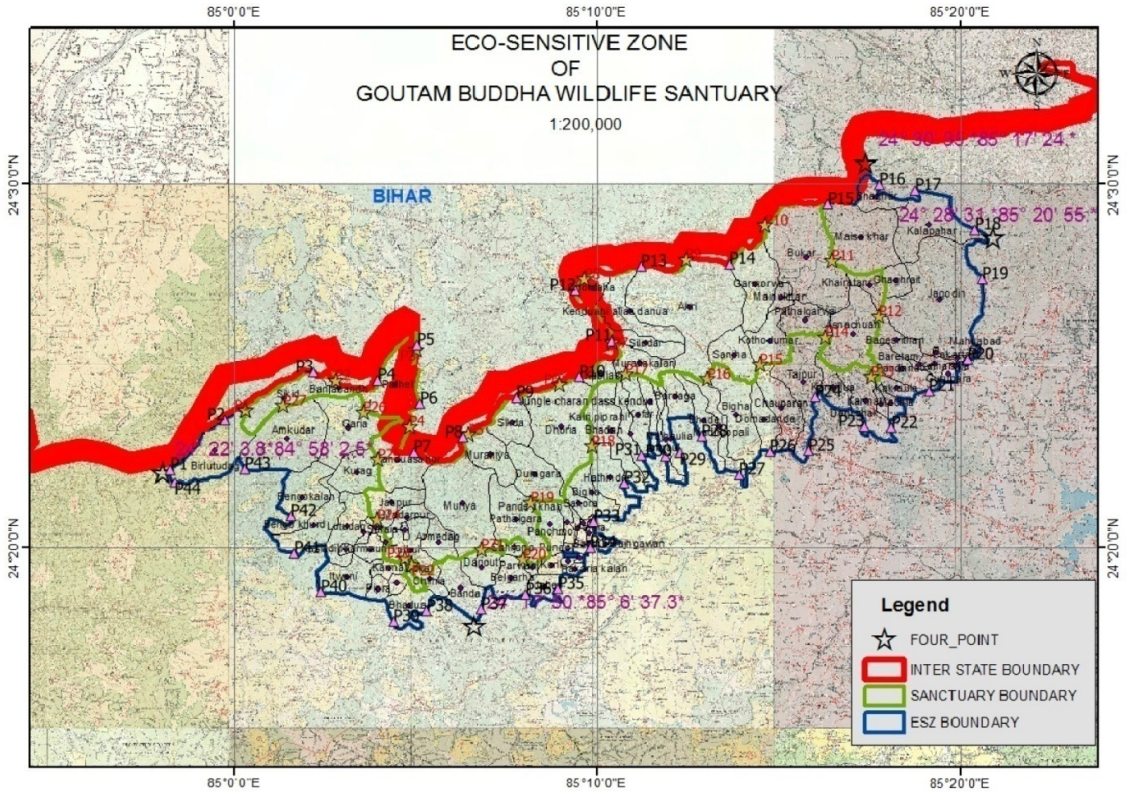

Boundaries of the ESZ around Gautam Buddha Wildlife Sanctuary

North: - North West and Northern part is Inter- State Border between Bihar (Gaya District of Bihar) and Jharkhand (Hazaribag District of Jharkhand).

East: - North and North-East part of the *Baghitanr*, Northern and South-East part of *Kalapahar*, Eastern and Southern Part of *Jagodih*, Eastern part of *Mahabad*, Eastern and Southern part of *Gurubara* and South-East Part of *Padma* Revenue Villages.

South: -Southern and South -East part of *Kakraula*, Soutrern tip of *Machla* and *Darjichak*, Southern and South-West part of *Karma*, Southern part of *Karanjua*, South-East and Southern part of *Tajpur* , Southern part of *Chauparan*, *Domadandei*, *Bigha*, *Madhgopali*, *Bhadel*, South-East Part of *Majhaulia*, Southern part of *Amroul*, *Bhadan*, *Hathinjar, Bigha, Sahora, Hardia*, South-Est and Southern part of *Majhgaon*, *Pakariakalan*, Southern part of *Jaber, Belgarha*, *Banda* and *Chilchia* Revenue villages.

West: - South-East, Southern and South-West part of *Bhadua*, Southern part of *Pipra*, South and Southern-West part of *Itwari* and West part of *Lutudag*, *Bengokhurd*, *Bengokalan, Amkudar* and *Birlutudag*Revenue villages.

Annexure-II

Geo Co-ordinates of boundary of Gautam Buddha Wildlife Sanctuary, Jharkhand

Geo Co-ordiantes marked on the PA Boundary of Gautam Budha Wildlife Sanctuary		
Points	**Latitude**	**Longitude**
P-1	24º23'45"	85º0'18"
P-2	24º24'35"	85º2'46"
P-3	24º25'25"	85º4'59"
P-4	24º23'19"	85º4'48"
P-5	24º23'5"	85º6'26"
P-6	24º24'28"	85º8'56"
P-7	24º25'38"	85º10'24"
P-8	24º27'22"	85º9'38"
P-9	24º27'55"	85º12'25"
P-10	24º28'51"	85º14'36"
P-11	24º27'53"	85º16'26"
P-12	24º26'21"	85º17'44"
P-13	24º24'41"	85º17'31"
P-14	24º25'46"	85º16'16"
P-15	24º25'1"	85º14'27"
P-16	24º24'37"	85º13'1"
P-17	24º24'45"	85º10'45"
P-18	24º22'46"	85º9'50"
P-19	24º21'13"	85º8'9"
P-20	24º19'39"	85º7'56"
P-21	24º19'55"	85º6'47"
P-22	24º19'30"	85º4'52"
P-23	24º19'41"	85º4'40"
P-24	24º20'44"	85º3'55"
P-25	24º22'24"	85º3'56"
P-26	24º23'42"	85º3'32"
P-27	24º23'53"	85º1'20"
P-28	24º23'45"	85º0'18"

Geo-coordinates of Eco-sensitive Zone Boundary of Gautam Buddha Wildlife Sanctuary, Jharkhand

Geo Co-ordiantes marked on the ESZ Boundary of Gautam Wildlife Sanctuary		
Points	**Longitude (E)**	**Latitude (N)**
P-1	24º22'8"	84º58'13"
P-2	24º23'30"	84º59'43"
P-3	24º24'49"	85º2'9"
P-4	24º24'36"	85º3'56"
P-5	24º25'34"	85º5'1"
P-6	24º23'57"	85º5'6"
P-7	24º22'37"	85º4'55"
P-8	24º23'1"	85º6'16"
P-9	24º24'7"	85º7'45"
P-10	24º24'41"	85º9'29"
P-11	24º25'41"	85º10'22"
P-12	24º27'4"	85º9'23"
P-13	24º27'44"	85º11'11"
P-14	24º27'48"	85º13'37"
P-15	24º29'27"	85º16'20"
P-16	24º29'59"	85º17'45"
P-17	24º29'50"	85º18'44"
P-18	24º28'45"	85º20'23"

P-19	24°27'23"	85°20'35"
P-20	24°25'10"	85°20'11"
P-21	24°24'18"	85°19'7"
P-22	24°23'17"	85°18'5"
P-23	24°23'19"	85°17'20"
P-24	24°24'8"	85°15'59"
P-25	24°22'39"	85°15'48"
P-26	24°22'38"	85°14'44"
P-27	24°21'60"	85°13'53"
P-28	24°23'3"	85°12'51"
P-29	24°22'36"	85°12'15"
P-30	24°22'30"	85°11'51"
P-31	24°22'32"	85°11'11"
P-32	24°21'46"	85°10'43"
P-33	24°20'42"	85°9'53"
P-34	24°19'59"	85°9'47"
P-35	24°18'51"	85°8'54"
P-36	24°18'42"	85°7'60"
P-37	24°18'17"	85°6'47"
P-38	24°18'14"	85°5'17"
P-39	24°17'57"	85°4'22"
P-40	24°18'46"	85°2'22"
P-41	24°19'50"	85°1'38"
P-42	24°20'51"	85°1'32"
P-43	24°22'9"	85°0'16"
P-44	24°21'47"	84°58'20"

Annexure III

List of villages within the Eco Sensitive Zone of Gautam Buddha Wildlife Sanctuary

S.No.	District	Village	CD Block	Latitude	Longitude
1	2	3	4	5	6
1.	Hazaribagh	Bhaghar	Chauparan	24.4942	85.2944
2.	Hazaribagh	Kalapahar	Chauparan	24.4814	85.3186
3.	Hazaribagh	Ghaghrait	Chauparan	24.4558	85.3039
4.	Hazaribagh	Maisa Khar	Chauparan	24.4758	85.2877
5.	Hazaribagh	Jagodih	Chauparan	24.4472	85.3236
6.	Hazaribagh	Bagesrithan	Chauparan	24.4283	85.3043
7.	Hazaribagh	Mahuabad	Chauparan	24.4235	85.3401
8.	Hazaribagh	Burhia ahri	Chauparan	24.4229	85.3221
9.	Hazaribagh	Tajpur	Chauparan	24.4093	85.2610
10.	Hazaribagh	Pandaria	Chauparan	24.4153	85.3065
11.	Hazaribagh	Karanjua	Chauparan	24.4072	85.2750
12.	Hazaribagh	Kathamba	Chauparan	24.4174	85.3217
13.	Hazaribagh	Pakartanr	Chauparan	24.4202	85.3321
14.	Hazaribagh	Baretam	Chauparan	24.4170	85.3141
15.	Hazaribagh	Dhobda ahri	Chauparan	24.4165	85.3311
16.	Hazaribagh	Gurubara	Chauparan	24.4129	85.3279
17.	Hazaribagh	Chauparan	Chauparan	24.3975	85.2509
18.	Hazaribagh	Kakraula	Chauparan	24.4067	85.3040
19.	Hazaribagh	Jungle Charan dass Kendua	Chauparan	24.4002	85.1906
20.	Hazaribagh	Amraul	Chauparan	24.3828	85.1979
21.	Hazaribagh	Darji Chak	Chauparan	24.3994	85.2968
22.	Hazaribagh	Karma	Chauparan	24.4004	85.2900
23.	Hazaribagh	Bigha	Chauparan	24.3941	85.2307
24.	Hazaribagh	Bardaga	Chauparan	24.4024	85.2028

25.	Hazaribagh	Bhadel	Chauparan	24.3916	85.2156
26.	Hazaribagh	Madhgopali	Chauparan	24.3889	85.2228
27.	Hazaribagh	Kafar	Chauparan	24.3944	85.1853
28.	Hazaribagh	Machla	Chauparan	24.3999	85.3013
29.	Hazaribagh	Domadande	Chauparan	24.3920	85.2432
30.	Hazaribagh	Bhadan	Chauparan	24.3871	85.1731
31.	Hazaribagh	Kairi Piprahi	Chauparan	24.3855	85.1820
32.	Hazaribagh	Majhaulia	Chauparan	24.3830	85.2005
33.	Hazaribagh	Hathindar	Chauparan	24.3652	85.1724
34.	Hazaribagh	Bigha	Chauparan	24.3586	85.1644
35.	Hazaribagh	Sahora	Chauparan	24.3537	85.1585
36.	Hazaribagh	Sahijana	Chauparan	24.3332	85.1285
37.	Chatra	Kendua	Itkhori	24.3451	85.1637
38.	Chatra	Panchmo	Itkhori	24.3439	85.1451
39.	Chatra	Pandey Khap	Itkhori	24.3448	85.1530
40.	Chatra	Hardia	Itkhori	24.3423	85.1579
41.	Chatra	Raja Kendua	Itkhori	24.3443	85.1603
42.	Chatra	Bahera Chak	Itkhori	24.3399	85.1630
43.	Chatra	Banthu	Itkhori	24.3347	85.1624
44.	Chatra	Majhgawan	Itkhori	24.3349	85.1707
45.	Chatra	Punaul	Itkhori	24.3331	85.1532
46.	Chatra	Rajadaharbhanga	Itkhori	24.3269	85.1532
47.	Chatra	Danout	Itkhori	24.3242	85.1136
48.	Chatra	Koni	Itkhori	24.3251	85.1461
49.	Chatra	Bidhichakaliasmurar Chak	Itkhori	24.3284	85.1588
50.	Chatra	Parwani	Itkhori	24.3241	85.1369
51.	Chatra	Pakaria Kalan	Itkhori	24.3235	85.1566
52.	Chatra	Jaber	Itkhori	24.3151	85.1422
53.	Chatra	Belgarha	Itkhori	24.3192	85.1273
54.	Chatra	Garia	Barhachatti	24.3883	85.0524
55.	Chatra	Amkudar	Barhachatti	24.3831	85.0246
56.	Chatra	Birlutudag	Barhachatti	24.3775	85.9909
57.	Chatra	Kurag	Barhachatti	24.3676	85.0563
58.	Chatra	Bengokalan	Barhachatti	24.3562	85.0310
59.	Chatra	Bengo Khurd	Barhachatti	24.3436	85.0367
60.	Chatra	Lutudag	Barhachatti	24.3428	85.0520
61.	Chatra	Saraia	Barhachatti	24.3423	85.0647
62.	Chatra	Majhaulia	Barhachatti	24.3400	85.0598
63.	Chatra	Karmauni	Barhachatti	24.3325	85.0625
64.	Chatra	Itwani	Barhachatti	24.3196	85.0517
65.	Chatra	Banda	Barhachatti	24.3145	85.1040
66.	Chatra	Karma	Barhachatti	24.3237	85.0712
67.	Chatra	Doka	Barhachatti	24.3167	85.0747
68.	Chatra	Chilhia	Barhachatti	24.3187	85.0900
69.	Chatra	Pipra	Barhachatti	24.3144	85.0661
70.	Chatra	Bhadua	Barhachatti	24.3066	85.0802
71.	Chatra	Kasiadih	Barhachatti	24.3325	85.0512
72.	Chatra	Deswaria	Barhachatti	24.3425	85.0668
73.	Chatra	Kandri	Barhachatti	24.3354	85.0698

List of Enclaved Villages:

S.No.	District	Village	CD Block	Latitude	Longitude
1	2	3	4	5	6
74.	Hazaribagh	Garmorwa	Chauparan	24.4543	85.2394
75.	Hazaribagh	Bukar	Chauparan	24.4665	85.2627
76.	Hazaribagh	Ahri	Chauparan	24.4438	85.2089

77.	Hazaribagh	Khairatanr	Chauparan	24.4535	85.2920
78.	Hazaribagh	Mainukhar	Chauparan	24.4483	85.2513
79.	Hazaribagh	Asnachuan	Chauparan	24.4314	85.2841
80.	Hazaribagh	Kenduahi alias danua	Chauparan	24.4416	85.1818
81.	Hazaribagh	Chordaha	Chauparan	24.4522	85.1641
82.	Hazaribagh	Pathalgarwa	Chauparan	24.4377	85.2621
83.	Hazaribagh	Kothodumar	Chauparan	24.4279	85.2458
84.	Hazaribagh	Silodar	Chauparan	24.4273	85.1887
85.	Hazaribagh	Sanjha	Chauparan	24.4218	85.2295
86.	Hazaribagh	Muratiakalan	Chauparan	24.4178	85.1864
87.	Hazaribagh	Dhoria	Chauparan	24.3886	85.1501
88.	Hazaribagh	Kabilash	Chauparan	24.4133	85.1686
89.	Hazaribagh	Sikda	Chauparan	24.3903	85.1276
90.	Hazaribagh	Muraniya	Chauparan	24.3757	85.1176
91.	Hazaribagh	Duragara	Chauparan	24.3669	85.1378
92.	Hazaribagh	Muriya	Chauparan	24.3535	85.1047
93.	Hazaribagh	Pathalgara	Chauparan	24.3461	85.1296
94.	Chatra	Baniabandh	Chatra	24.4066	85.0482
95.	Chatra	Pathel	Barhachatti	24.4079	85.0739
96.	Chatra	Sikid	Barhachatti	24.4016	85.0229
97.	Chatra	Kanduasahor	Barhachatti	24.3736	85.0753
98.	Chatra	Jaspur	Barhachatti	24.3538	85.0722
99.	Chatra	Madarpur	Barhachatti	24.3471	85.0794
100.	Chatra	Armedag	Barhachatti	24.3359	85.0939
101.	Chatra	Tulbul	Barhachatti	24.3322	85.0813
102.	Chatra	Bamhana	Barhachatti	24.3409	85.0783

Annexure IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.03 14:48:06 +05'30'